

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 1204 / 13

संस्थित दिनांक 19.12.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर
 जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

पंकज पिता सोमप्रकाश गुप्ता, उम्र-41 वर्ष,
 निवासी ग्राम रेंगाखार थाना रेंगाखार जिला कबीरधार(छ0ग0)

.....आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक **22 / 07 / 2017** को घोषित }

01. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.11.2013 को रात्रि के 02:00 बजे ग्राम कोहका मेन रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन इंडिका कार एम.पी.04/सी.एफ.6032 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक लामूसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 72/13 धारा-174 जा.फौ. की डायरी अग्रिम जांच कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई थी, जिसके अवलोकन करने पर पाया गया कि मर्ग सदर में मृतक लामूसिंह पिता पवनसिंह निवासी कोहका थाना बैहर का दिनांक 10.11.2013 के रात्रि 02:00 बजे ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई है कि अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर थाना में मर्ग कायम कर प्रधान आरक्षक क्रमांक 458 कपूर बिसेन द्वारा शव पंचनामा कार्यवाही की जाकर मृतक के शव का पी.एम. कराया गया। संपूर्ण जांच पर आरोपी इंडिका कार एम.पी.04/सी.एफ.6032 का चालक द्वारा मृतक लामूसिंह की ठोस मारकर चोट पहुँचाने से ईलाज के दौरान मृत्यु होना पाया गया। उक्त अपराध का कृत्य अपराध सदर धारा-304ए भा.दं0सं0 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान क्रमांक 164/13 दिनांक 19.12.2013 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.11.2013 को रात्रि के 02:00 बजे

ग्राम कोहका मेन रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन इंडिका कार एम.पी.04/सी.एफ.6032 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक लामूसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

05. साक्षी प्रताप अ0सा0-1 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। मृतक लामूसिंह उसके पिता थे। घटना उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के करीब आठ माह पूर्व सुबह के 9-9:30 बजे की है। मृतक लामूसिंह उसके पिताजी है। घटना के समय वह खेत पर था, उसके छोटे लड़के युवराज ने उसे बताया कि लामूसिंह का जीप से एक्सीडेंट हो गया है, तब वह बैहर अस्पताल गया था, उसके बाद उसके पिताजी को बालाघाट अस्पताल रिफर कर दिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष पंचायतनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशादेही पर अस्पताल में घटनास्थल का नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.03 नहीं बनाई थी, किन्तु ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 10.11.2013 को सुबह 09:00 बजे उसके पिता लामूसिंह को मलाजखंड की ओर से आ रही इंडिका गाड़ी के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दिया था, जिससे उसके पिता को हाथ, पैर में चोट लगी थी। दिनांक 14.11.2013 को रात्रि के समय फौत हो गये थे। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.04 का कथन पुलिस को देने से इंकार किया।

06. साक्षी घनश्याम अ0सा0-2 का कथन है कि वह आरोपी पंकज को नहीं जानता है तथा मृतक लामूसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के करीब आठ-दस माह पूर्व सुबह के नौ साढ़े नौ बजे की है। वह घटना दिनांक को बिरवा जा रहा था, तब उसे रास्ते में खबर मिली की एक्सीडेंट हो गया है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.01 तैयार की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन दिया था।

07. साक्षी पंचम ऐड़े अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक को नहीं जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 10.11.2013 को जब वह अपनी दुकान में था, तब उसने देखा कि उसके गांव का लामूसिंह जो रोड से खेत की तरफ जा रहा था, तब आई.टेन वाहन के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लामूसिंह को टक्कर मार दिया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में लामूसिंह सड़क पर गिर गया था, जिसे उसने गांववालों के साथ मिलकर उठाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में लामूसिंह की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.06 का कथन देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी

नहीं है।

08. साक्षी शंकर अ0सा0-4 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा मृतक लामूसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के करीब दो वर्ष पूर्व की है। घटना के पश्चात लामूसिंह को बैहर अस्पताल ला लिया गया था, तब उसे जानकारी लगी थी कि लामूसिंह को उसके घर के सामने जीप से एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना के बाद लामूसिंह की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसे टक्कर मारने वाले वाहन का नंबर तथा उसके चालक द्वारा वाहन किस प्रकार से चलाया जा रहा था कि जानकारी नहीं लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायत एवं पंचायतनामा की कार्यवाही की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे लामूसिंह की दुर्घटना इंडिका कार क्रमांक एम.पी.04सी.एफ.6032 से हुई थी तथा उक्त वाहन का चालक तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये लामूसिंह को ठोस मार दिया था। उसने पुलिस को प्र.पी.07 का कथन देने से इंकार किया।

09. साक्षी मेहताप (अ0सा0-08) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से घटना एक वर्ष पूर्व ग्राम कोहका बस्ती में सुबह करीब दस बजे की है। वह खेत में काम कर रहा था, उसे खबर मिली कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वह बैहर अस्पताल आया और देखा कि उसके पिता को सिर, पैर व हाथ में चोटें आई थी, जिन्हें ईलाज के लिए बालाघाट व बाद में जबलपुर रिफर किया गया था, परंतु पिताजी को वापस बैहर अस्पताल में ही हमने भर्ती कर दिये थे। बैहर अस्पताल लाने के तीसरे दिन रात्रि में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसके समक्ष उसके पिता लामूसिंह का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पिता की मृत्यु आरोपी की जीप वाहन से कारित दुर्घटना होने से हुई थी। उसके पिता अपनी दिशा से जा रहे थे और आरोपी ने तेज गति से वाहन चलाकर उनको ठोस मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना होते हुये उसने नहीं देखा है, वह लोगों के बताये अनुसार आरोपी का नाम बता रहा है। साक्षी ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि घटना किस दिनांक की है। साक्षी ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन किस कंपनी का था। साक्षी ने कहा कि वह गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार उसने देखा नहीं था, उसे गांववालों ने बताया था।

10. साक्षी डॉ0 एन.एस.कुमरे (अ0सा0-05) का कथन है कि वह दिनांक 10.11.13 को सी.एच.सी. बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा टी.आई. बैहर को एक सूचना भेजकर जानकारी दी गई, जिसमें लेख है कि अस्पताल पर आहत लामूसिंह पिता पवनसिंह को भर्ती किया गया है। लाने वालों के अनुसार रोड एक्सीडेंट से चोट आई है और बेहोशी की हालत में है आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना है, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14.11.13 को आहत की रात्रि दो बजे मृत्यु होने की सूचना टी.आई. बैहर को दी गई थी, जो प्र.पी.09 है। दिनांक 10.11.13 को टी.आई. बैहर से एक तहरीर आई थी, जिसमें उससे पूछा गया था कि आहत कथन देने योग्य है या नहीं, जिसमें उनके द्वारा आहत कथन देने योग्य नहीं है लेख किया गया था, जो प्र. पी.10 है। दिनांक 10.11.13 को थाना बैहर से आरक्षक विजय नम्बर 1056 द्वारा आहत लामूसिंह को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण उसके द्वारा किया

गया था, जिसमें आहत को चोट क्रमांक-01 कटीफटी चोट ढाई गुणा एक इंच हड्डी तक गहराई लिये अनियमित किनारे, खून जमा हुआ था तथा उक्त चोट सिर के पीछे भाग पर पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन एक गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे, लालीमा लिये थी तथा उक्त चोट दाहिने कोहनी के पीछे वाले भाग पर थी। चोट क्रमांक-03 कंटयूजन एक गुणा आधा इंच लिये बायें पैर पर सामने की तरफ पाया था। आहत अर्द्ध बेहोशी की हालत में था, नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 110/90 मि.मी., ऑफ मरकरी, हृदय तंत्र व श्वसन तंत्र में अनियमितता आ गई थी। आहत को चोट क्रमांक-01 व 03 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा चोट क्रमांक-02 साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी। आहत को आई उक्त चोटें उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर की थी। चोट क्रमांक-01 में टांके लगाये गये थे व आहत को आगे ईलाज हेतु बालाघाट रिफर किया गया था, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14.11.13 को सी.एच.सी. बैहर से आरक्षक रामसिंह नम्बर 957 द्वारा मृतक लामूसिंह को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त शव की पहचान प्रताप एवं मंगलू द्वारा की गई थी, जिसका शव परीक्षण दिन के समय 12:30 बजे उसके द्वारा किया गया था। उक्त शव चित्त अवस्था में था, नाखून पीले पड़ गये थे, जिसके शरीर पर उपर बताये अनुसार चोटें थी। शव का आंतरिक परीक्षण करने पर खोपड़ी, कपाल ऑक्सीपिटल बोन अस्थिभंग थी, जिसके अंदर रक्त का थक्का जमा हुआ था। शव का मस्तिष्क फट गया था, फेफड़े, प्लीहा, गुर्दा पीले पड़ गये थे, हृदय में बहुत कम मात्रा में रक्त था एवं पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुँह ग्रासनली, भीतरी व बाहरी जनेन्द्रियाँ स्वस्थ थी, छोटी आंत में तरल पदार्थ, बड़ी आंत में विष्ट होना पाया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण सदमा होना पाया था जो कि प्राण घातक चोट क्रमांक-01 हेड इंज्यूरी से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्त्राव से मृत्यु हुई थी। मृत्यु उसके पी.एम. के बारह घण्टे के भीतर की है। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि 65 से 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति कमजोर हो जाता है तथा उक्त व्यक्ति की हड्डी भी कमजोर रहती है। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उक्त चोटें गिरने से आ सकती है। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि बताई गई उक्त चोटें गिरने से आ सकती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि लामूसिंह को घटना के पूर्व से चोटें थी। यह भी अस्वीकार किया है कि घटनास्थल डामर सड़क पर बुजुर्ग व्यक्ति को गिरने से उक्त चोटें आ सकती है। यह भी अस्वीकार है कि आहत को स्वयं के गिरने से उक्त चोटें आई थी।

12. साक्षी आदिल खान अ0सा0-6 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही किसी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उसके समक्ष आरोपी पंकज गुप्ता से वाहन हुण्डई आई10 क्रमांक एम. पी.04सी.एफ.603 को मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके जप्ती पत्रक प्र.पी.13 पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.13 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 पर पुलिसवालों के

कहने पर उसने हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

13. साक्षी संदीप देशमुख अ0सा0-7 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही किसी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उसके समक्ष आरोपी पंकज गुप्ता से वाहन हुण्डई आई10 क्रमांक एम.पी.04सी.एफ.603 को मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके जप्ती पत्रक प्र.पी.13 पर हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.13 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 पर पुलिसवालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

14. साक्षी गजेन्द्र पटले (अ0सा0-09) का कथन है कि उसके द्वारा थाना बैहर के अपराध क्रमांक 162/13 में जप्तशुदा कार हुंडई आई 10 क्रमांक एम.पी. 04/सी.एफ-6032 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने वाहन का स्टेरिंग, क्लच, एकसीलेटर, ब्रेकलाइट, फ्रंट पेनल, हेड लाईट, इंडीकेटर, टायर, ब्रेक, गियर ठीक अवस्था में पाया था, जो प्र.पी.15 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अरविंद ज्योतिषी द्वारा की गई है, जो साथ कार्यरत होने के कारण उनके हस्ताक्षर को वह पहचानता है। प्रकरण में मर्ग जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.16 लेख की गई है, जिसके ए से ए व बी से बी भाग पर श्री ज्योतिषी के हस्ताक्षर है। प्रकरण में घटनास्थल का मौकानक्शा गवाह प्रताप की निशादेही पर बनाया गया है, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर श्री ज्योतिषी के हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 18.12.13 को आरोपी द्वारा पेश करने पर गवाह आदिल व संदीप के समक्ष वाहन हुंडई आई 10 क्रमांक एम.पी. 04/सी.एफ-6032 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर श्री ज्योतिषी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर श्री ज्योतिषी के हस्ताक्षर है। प्रकरण में अरविंद ज्योतिषी द्वारा गवाह पंचम, प्रताप, शंकर, मेहताप, मंगलू, घनश्याम के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे, जिन पर श्री ज्योतिषी के हस्ताक्षर है। प्रकरण में अरविंद ज्योतिषी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

15. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने वाहन परीक्षण हेतु कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। साक्षी ने कहा है कि वाहन परीक्षण हेतु उसे किसी संस्था से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने वाहन परीक्षण किये बिना विवेचना अधिकारी के बताये अनुसार रिपोर्ट तैयार की थी। साक्षी ने कहा है कि प्रकरण में उपनिरीक्षक अरविंद ज्योतिषी द्वारा की गई कार्यवाहियों को उसने नहीं देखा था। साक्षी ने कहा है कि वह प्रकरण के दस्तावेज देखकर विवेचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों के विषय में बता रहा है, उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। साक्षी ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि विवेचना अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख

किये गये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि विवेचना अधिकारी द्वारा मौकानक्षा की कार्यवाही थाने में बैठकर की गई थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि विवेचना अधिकारी द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही गवाहों के समक्ष नहीं की थी, यदि जप्ती एवं गिरफ्तारी साक्षीगण द्वारा कार्यवाही से इंकार किया गया हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता।

16. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में लामूसिंह की मृत्यु हुई थी। परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियां स्वयं प्रमाण हैं” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक लामूसिंह की मृत्यु कारित की गयी है। मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

17. अतः अभियुक्त पंकज गुप्ता को भा.दं०सं० की धारा-304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन इंडिका कार एम.पी. 04/सी.एफ.6032 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)